



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 अग्रहायण 1943 (श०)

(सं० पटना 1012) पटना, शुक्रवार, 17 दिसम्बर 2021

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

16 दिसम्बर 2021

सं० पर्या./जल./परि.(विविध)-16/2019/988(ई०) प०व०ज०प०—प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के तहत 50 माईक्रोन्स से कम मोटाई के प्लास्टिक कैरी बैग (अप्रयुक्त या पुनः चक्रित) एवं प्लास्टिक शीट या इसी प्रकार के जो बहुस्तरीय पैकेजिंग और वस्तु के पैकेजिंग या लपेटने के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक शीट के बने कवर, जो वस्तु का अभिन्न भाग नहीं है, प्रतिबंधित हैं;

2. और चूँकि, बिहार सरकार ने गजट अधिसूचना संख्या-943 दिनांक 24.10.2018 एवं 1043 दिनांक 11.12.2018 के माध्यम से क्रमशः सभी नगर निकाय एवं ग्राम पंचायत की परिसीमा में प्लास्टिक कैरी बैग (उनके आकार एवं मोटाई का विचार किये बिना) के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है;

3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यावरण (संरक्षण), अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 23 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 5 के अधीन निर्गत अधिसूचना ऐ० ओ० (ई०) दिनांक 10.02.1988 द्वारा इस राज्य को प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार द्वारा सम्पूर्ण राज्य की परिसीमा के भीतर एकल उपयोग वाले त्याज्य प्लास्टिक, जिसमें थर्मोकोल भी सम्मिलित है, से बने कटलरी जैसे-प्लेट, कप, ग्लास, कॉटा, चम्च, कटोरी इत्यादि, प्लास्टिक परत वाले प्लेट, कप, जिसका उपयोग भोज्य पदार्थ/जल परोसने के लिए किया जाता है, पानी के पाउच एवं पैकेट, प्लास्टिक के झंडे, बैनर और ध्वज पट्ट (Bunting) आदि के विनिर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन, बिक्री एवं उपयोग पर अधिसूचना संख्या-पर्या०/वन (मु०)-09/2019-406 (ई०)/प०व०, दिनांक 16.06.2021 द्वारा अधिसूचना के गजट में प्रकाशन की तिथि से 180 दिनों के पश्चात् पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है;

4. और चूँकि, भारत सरकार की इस संबंध में जारी गजट अधिसूचना संख्या-459, दिनांक 12.08.2021 द्वारा देश भर में एकल उपयोग त्याज्य प्लास्टिक एवं इससे संबंधित उत्पाद पर प्रतिबंध दिनांक 01.07.2022 से प्रभावी होनी है।

5. और चूँकि, उक्त अधिसूचना के कंडिका-4 (2) अनुसार पोलीस्टाइरीन और विस्तारित पोलीस्टाइरीन वस्तुओं सहित निम्नलिखित एकल प्रयोग-प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग का निषेध किया जायेगा, जिसमें प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइस्क्रीम की डंडिया, पोलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री, प्लेटें, कप, गिलास, कॉटे,

चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, द्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट के ईर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्टरर शामिल हैं।

6. इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त बिहार सरकार अधिसूचना संख्या-पर्यां०/वन (मु०)- 09/2019-406 (ई०) / प०व०, दिनांक 16.06.2021 के राजपत्र में प्रकाशित प्रावधान पारा नं० 6 निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

'इसलिये अब पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 23 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 5 के अधीन निर्गत अधिसूचना संख्या ए० ओ० (ई), दिनांक 10.02.1988 द्वारा इस राज्य को प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार इस अधिसूचना के माध्यम से सम्पूर्ण राज्य की परिसीमा के भीतर दिनांक 01.07.2022 की तारीख से पोलीस्टाइरीन और विस्तारित पोलीस्टाइरीन वस्तुओं सहित निम्नलिखित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को निषेध करती है :-'

(क) प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड़स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झांडे, कैंडी स्टिक, आइस्क्रीम की डंडिया, पोलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री,

(ख) प्लेटें, कप, गिलास, कॉटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, द्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट के ईर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्टरर।

उपरोक्त प्रतिबंध कंपोस्ट योग्य प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं पर लागू नहीं होंगे।

7. पारा नं० 7 "निदेश)" को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

बिहार राज्य की परिसीमा के भीतर दिनांक 01.07.2022 की तारीख से पोलीस्टाइरीन और विस्तारित पोलीस्टाइरीन वस्तुओं सहित निम्नलिखित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को निषिद्ध किया जाता है :-

(क) प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड़स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झांडे, कैंडी स्टिक, आइस्क्रीम की डंडिया, पोलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री,

(ख) प्लेटें, कप, गिलास, कॉटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, द्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट के ईर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्टरर।

उपरोक्त प्रतिबंध कंपोस्ट योग्य प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं पर लागू नहीं होंगे।

8. पारा नं० 12 "प्रवर्तन)" को विलोपित किया जाता है। विभागीय अधिसूचना संख्या-पर्यां०/वन (मु०)-09/2019-406 (ई०) / प०व० दिनांक 16.06.2021 की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

दीपक कुमार सिंह,

सरकार के प्रधान सचिव।

The 16th December 2021

No. Parya./Jal./Pari.(Miscellaneous)-16/2019/988(E) Pa.Va.Ja.Pa—Under the Plastic Waste Management Rules, 2016, plastic carry bags (unused or recycled) of thickness less than 50 microns and plastic sheets or similar articles made of plastic sheets used for multilayer packaging and packaging or wrapping of articles Cover, which is not an integral part of the article, is prohibited;

2. And whereas, the Government of Bihar vide Gazette Notification No.-943, Dated-24.10.2018 and 1043, Dated 11.12.2018, has notified complete ban on use of plastic carry bags (irrespective of their size and thickness) in the limits of all Municipal bodies and Gram Panchayats respectively.

3. In exercise of the powers conferred under section 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, issued vide notification AO (E) under section 5 of the Act, and in exercise of the powers delegated to this State vide notification dated 10.02.1988, the

Government of Bihar, through notification no. Parya/van (Mu)-09/2019-406 (E.) Dated 16.06.2021 has imposed a complete ban within the limits of the State on the manufacture, import, store, transport, sale and use of following items made of single-use disposable plastic, including thermocol : cutlery such as plates, cups, glasses, forks, spoons, bowls and stirrers, plastic coated plates, cups and other cutlery used for serving eatables/drinks; water pouches and packets, plastic flags, banners and bunting, after 180 days from the date of publication of the notification in the official gazette.

4. And whereas, the ban on single use disposable plastic and its related products across the country is to be effective from 01.07.2022, vide Gazette notification number-459, dated 12.08.2021, issued in this regard by the Government of India.

5. And whereas, according to clause-4(2) of the said notification, the manufacture, import, stocking, distribution, sale and use of the following single-use plastic, including polystyrene and expanded polystyrene, commodities shall be prohibited with effect from the 1st July, 2022 including ear buds with plastic sticks, plastic sticks for balloons, Plastic flags, candy sticks, ice cream sticks, polystyrene (thermocol) for decorations, plates, cups, glasses, cutlery such as forks, spoons, knives, straw, trays, wrapping or packing films around sweet boxes, invitation cards and cigarette packets, plastic or PVC banners less than 100 microns, stirrers.

6. In this regard, after due consideration, the provision in Para No. 6 in the Government of Bihar notification no.- Parya/van (Mu)-09/2019-406 (E.) Dated 16.06.2021, published in the Gazette, is substituted as under :-

Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), delegated to this State vide MoEF, GoI notification no. S.O. 152 (E), dated 10.02.1988 under section 23 of the said act, the Government of Bihar issues this notification to impose a complete ban on the manufacture, import, stocking, distribution, sale and use of following single use plastic, including polystyrene and expanded polystyrene, commodities with effect from the 1st July, 2022 :-

- (a) Ear buds with plastic sticks, plastic sticks for balloons, plastic flags, candy sticks, ice-cream sticks, polystyrene (Thermocol) for decoration,
- (b) Plates, cups, glasses, cutlery such as forks, spoons, knives, straw, trays, wrapping or packing films around sweet boxes, invitation cards and cigarette packets, plastic or PVC banners less than 100 micron, stirrers.

The provisions shall not apply to commodities made of compostable plastic.

7. Para No. 7 "**(Directions)**" is substituted as under :-

The manufacture, import, stocking, distribution, sale and use of the following single use plastic, including polystyrene and expanded polystyrene, commodities are prohibited within the limits of the State of Bihar with effect from 1st July, 2022.

- (a) Ear buds with plastic sticks, plastic sticks for balloons, plastic flags, candy sticks, ice-cream sticks, polystyrene (Thermocol) for decoration,
- (b) Plates, cups, glasses, cutlery such as forks, spoons, knives, straw, trays, wrapping or packing films around sweet boxes, invitation cards and cigarette packets, plastic or PVC banners less than 100 micron, stirrers.

The provisions shall not apply to commodities made of compostable plastic.

8. Para No. 12 "**(Enforcement)**" is abolished.

All other Para/Provisions in the notification no.Parya/van (Mu)-09/2019-406(E.)

Dated 16.06.2021 shall remain as such.

By order of the Governor of Bihar,

Dipak Kumar Singh,

Principal Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1012-**571+500-डी०टी०पी०।**
Website: <http://egazette.bih.nic.in>